

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० २१५] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर, ३०, १९६८/अग्रहायणा ९, १८९०

No. 215] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 30, 1968/AGRAHAYANA 9, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ सख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 28th November 1968

G.S.R. 2098.—The following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

In exercise of the powers conferred by subsection (2) of section 51 of the States Reorganisation Act, 1956 (37 of 1956), I, Zakir Husain, President of India, after consultation with the Governor of Madhya Pradesh and the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh hereby establish a permanent Bench of the Madhya Pradesh High Court at Indore and further direct that such Judges of the High Court of Madhya Pradesh, being not less than four in number, as the Chief Justice may from time to time nominate, shall sit at Indore in order to exercise the jurisdiction and power for the time being vested in that High Court in respect of cases arising in the revenue districts of Indore, Ujjain, Dewas, Dhar, Jabalpur, Ratlam, Mandla, West Nimar (Khargone), Shahajpur and Rajgarh :

Provided that the Chief Justice may, for special reasons, order that any case or class of cases arising in any such district shall be heard at Jabalpur

[No F 16/20/68-Judl.III(i).]

G.S.R. 2099.—The following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 51 of the States Reorganisation Act, 1956 (37 of 1956), I, Zakir Husain, President of India, after consultation with the Governor of Madhya Pradesh and the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby establish a permanent Bench of the Madhya Pradesh High Court at Gwalior and further direct that such Judges of the High Court of Madhya Pradesh being not less than two in number, as the Chief Justice may from time to time nominate, shall sit at Gwalior in order to exercise the jurisdiction and power for the time being vested in that High Court in respect of cases arising in the revenue districts of Gwalior, Shivpuri, Datia, Guna, Vidisha (Bhilsa), Bhind and Morena :

Provided that the Chief Justice may, for special reasons, order that any case or class of cases arising in any such district shall be heard at Jabalpur.

NEW DELHI,
November 18, 1968.

ZAKIR HUSAIN,
President.
[No. F.16/20/68-Jud.III(ii).]

J. M. LALVANI, Jt. Secy.

गृह विभाग

प्रधिसूचनाएं

नई दिल्ली 28 नवम्बर, 1968

जी० एस० आर० 2100.—राष्ट्रपति द्वारा किया गया विम्बिबिजित आदेश का तात्पर्य की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

प्रकाश

राज्य पुर्नगठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) की धारा 51 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जाकिर हुसैन, भारत का राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य-न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात्, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायाधीश एतद्द्वारा इन्दौर में स्थापित करता हूँ और यह निदेश भी देता हूँ कि मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के बार से अन्यून ऐसे न्यायाधीश, जिन्हें मुख्य न्यायमूर्ति समय समय पर नाम निर्दिष्ट करें, इन्दौर उज्जैन, देवास, धार, झुझा, रतलाम, मन्दसौर, पश्चिमी निमार (बरगाव) राजापुर और राजनाड के राजस्व जिलों में उद्भूत होने वाले मामलों के बारे में उस उच्च न्यायालय में तत्समय निहित अधिकारिता और शक्ति का प्रयोग करने के लिए इन्दौर में बैठेंगे :

परन्तु मुख्य न्यायमूर्ति, विशिष्ट कारणों से, यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे किसी जिले में उद्भूत होने वाला कोई मामला या मामलों का वर्ग जबलपुर में सुना जाएगा ।

[सं० फा० 16/20/68—न्या० III (i)]

जी० एस० आर० 2101.—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) की धारा 51 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जाकिर हुसैन, भारत का राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात्, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ एतद्वारा खालियर में स्थापित करता हूँ और यह निदेश भी देता हूँ कि मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के दो से अन्यून ऐसे न्यायाधीश जिन्हें मुख्य न्यायमूर्ति समक्ष समय पर नाम निश्चित करे, खालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना, बिविशा (भैलसा), भिंड और मोरेना के राजस्व जिलों में उद्भूत होने वाले मामलों के बारे में उस उच्च न्यायालय में तत्समय निहित अधिकारिता और शक्ति का प्रयोग करने के लिए खालियर में बैठेंगे।

परन्तु मुख्य न्यायमूर्ति, निश्चित कारणों से, यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे किसी जिले में उद्भूत होने वाला कोई मामला या मामलों का वर्ग जबलपुर में सुना जाएगा।

नई दिल्ली,
18 नवम्बर, 1968

जाकिर हुसैन,
राष्ट्रपति

[सं० का० 16 / 26 / 68-आ० III (II)]

अ० म० लाक्षणाणी,
संयुक्त सचिव।

